सर्वोच्च प्राथमिकता

संख्या-01/2022/440/90-सं0शि0प0का0/2022-08(सं0शि0)/2019

प्रेषक,

जे0पी0सिंह-II,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।
2- पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश ।
3- समस्त मण्डलायुक्त/ समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।

संसदीय शिष्टाचार/पत्राचार कार्यान्वयन अनुभाग **लखनऊ: दिनांक-11 मई, 2022**

विषय:- मा0 संसद सदस्य एवं राज्य विधान मण्डल के मा0 सदस्यों के प्रति शिष्टाचार/अनुमन्य प्रोटोकाल एवं सौजन्य प्रदर्शन के अनुपालन के सम्बन्ध में ।

महोदय,

मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की ओर से निर्गत संसदीय शिष्टाचार/पत्राचार कार्यान्वयन अनुभाग के शासनादेश संख्या-555/90-सं0शि0प0का0/17-02(सं0शि0)/ 2015 दिनांक-18-10-2017 एवं तदक्रम में निर्गत क्रमश: शासनादेश संख्या-05/2018/1038/90-सं0शि0प0का0/18-02 (सं0शि0)/2015 दिनांक-16-10-2018, शासनादेश संख्या-02/2019/1155/90-सं0शि0प0का0/19-02 (सं0शि0)/2015 दिनांक-22-10-2019, शासनादेश संख्या-02/ 2021/311/90-सं0शि0प0का0/2021-02(सं0शि0)/2015 दिनांक-23-03-2021 एवं इस संबंध में निर्गत अंतिम शासनादेश संख्या-06/ 2021/365/90-सं0शि0प0का0/2021-02(सं0शि0)/2015 दिनांक-11-11-2021 द्वारा मुख्य रूप से मा0 संसद सदस्य एवं राज्य विधान मण्डल के मा0 सदस्यों के प्रति शिष्टाचार/ अनुमन्य प्रोटोकाल एवं सौजन्य प्रदर्शन के अनुपालन के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये है।

2- अवगत कराना है कि मा0 राज्य विधान मण्डल के मा0 सदस्यों के प्रति शिष्टाचार/अनुमन्य प्रोटोकाल का उल्लघंन किये जाने संबंधी प्रकरणों के संबंध में विचार-विमर्श किये जाने हेतु मा0 संसदीय अनुश्रवण समिति की दिनांक 11 नवम्बर, 2021 को बैठक सम्पन्न हुयी। उक्त बैठक में विचार हेतु सम्मिलित एक प्रकरण के संदर्भ में विचार-विमर्श के उपरान्त यह पाया गया कि एक सरकारी कार्यक्रम में जनपद स्तर के अधिकारी द्वारा भूतपूर्व मंत्री को मुख्य अतिथि बनाया गया तथा क्षेत्रीय मा0 सदस्य विधान सभा को उक्त कार्यक्रम का मुख्य अतिथि नहीं बनाया गया।

चूंकि उक्त के संबंध में कोई शासनादेश निर्गत नहीं किया गया है जिसके कारण सरकारी कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि बनाये जाने के संबंध में जनपद स्तर के अधिकारियों को कठिनाई उत्पन्न होती है, अत: मा0 समिति द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त इस संबंध में एक समुचित आदेश जारी कराये जाने की अपेक्षा की गयी।

कृ0पृ0-2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- उल्लेखनीय है कि सामान्य प्रशासन अनुभाग के शासनादेश संख्या-796/तीन-2013-72(1)/91, दिनांक 17 जुलाई, 2013 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा राज्य का सहायक पूर्वताधिपत्र (सब्सिडियरी वारंट आफ प्रिसीडेन्स) निर्गत करते हुये कोटिक्रम निर्धारित किया गया है। उक्त शासनादेश द्वारा निर्धारित कोटिक्रम में राज्य सरकार के भूतपूर्व माननीय मंत्रीगण/ मा0 सदस्य विधान सभा/परिषद को स्थान नहीं दिया गया है। उक्त से स्पष्ट है कि राज्य के सहायक पूर्वताधिपत्र (सब्सिडियरी वारंट आफ प्रिसीडेन्स) के अनुसार किसी सरकारी कार्यक्रम में वर्तमान माननीय सदस्य, विधान सभा/परिषद के सदस्यों के उपस्थित होने पर राज्य सरकार के भूतपूर्व माननीय मंत्रीगण/ भूतपूर्व मा0 सदस्य विधान सभा/परिषद को मुख्य अतिथि बनाना उपयुक्त नहीं है।

अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया भविष्य में किसी सरकारी कार्यक्रम में सामान्य प्रशासन अनुभाग के शासनादेश संख्या-796/तीन-2013-72(1)/91, दिनांक 17 जुलाई, 2013 द्वारा निर्गत राज्य के सहायक पूर्वताधिपत्र (सब्सिडियरी वारंट आफ प्रिसीडेन्स) में निर्धारित कोटिक्रम के आलोक में उपलब्धता के अनुसार मुख्य अतिथि का चयन किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,
जे0पी0सिंह-II
प्रमुख सचिव।

संख्या-01/2022/440(1)/90-सं0शि0प0का0/2022 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश।
2- निजी सचिव, मा0 संसदीय कार्य मंत्री, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के अवगतार्थ।
3- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश ।
4- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
5- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
6- विशेष सचिव, विधान सभा समिति (सामान्य) अनुभाग-3
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
पूनम त्रिवेदी
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या–: 796/तीन–2013–72(1)/91

प्रेषक,

पी0वी0 जगन मोहन,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

सामान्य प्रशासन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 17 जुलाई, 2013

विषय : राज्य का सहायक पूर्वताधिपत्र (सब्सिडियरी वारंट आफ प्रिसीडेन्स)।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सामान्य प्रशासन के पत्रांक–56/तीन–2013, दिनांक 29 जनवरी, 2013 के क्रम में संशोधित राज्य के सहायक पूर्वताधिपत्र की प्रति संलग्न कर प्रेषित करने का मुझे निदेश हुआ है।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,
पी0वी0 जगन मोहन,
सचिव।

संख्या–: 796(1)/तीन–2013, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :–

1) सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली।
2) सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिव।
3) संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों/प्रशासनों को।

संख्या–: 796(2)/तीन–2013, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :–

1) समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
2) सचिव, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4) निबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

संख्या–: 796(3)/तीन–2013, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :–

1) समस्त मंत्रियों के निजी सचिव को मंत्री महोदय के सूचनार्थ।
2) समस्त राज्य मंत्रियों के निजी सचिवों को राज्य मंत्री महोदय के सूचनार्थ।
3) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से,
विजय प्रताप
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश का संशोधित सहायक पूर्वताधिपत्र

कोटिक्रम	पदनाम
(1)	(2)
4	राज्यपाल
8	मुख्यमंत्री
8–अ	उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति
16	विधान परिषद के सभापति, विधान सभा के अध्यक्ष
16–अ	राज्य के मंत्रीगण/मा0 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशगण/नेता विरोधी दल (विधान परिषद/विधान सभा)/लोकायुक्त
17	— — —
17अ	— — —
19	उप सभापति, विधान परिषद, उपाध्यक्ष, विधान सभा, राज्य के राज्य मंत्री,
20	उप मंत्री, महापौर–अपने क्षेत्र में
20–अ	अध्यक्ष, जिला परिषद (अपने क्षेत्र में), अध्यक्ष, नगर पालिका (अपने क्षेत्र में)
22	संसद सदस्य
22–अ	विधान परिषद तथा विधान सभा के सदस्य
24	मुख्य सचिव
24–अ	अध्यक्ष, राजस्व परिषद
26	लेफ्टीनेन्ट जनरल अथवा सशस्त्र सेना के समकक्ष अधिकारी
28	एडवोकेट जनरल, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष
28	सदस्य, राजस्व परिषद, अध्यक्ष, लोक सेवा अधिकरण, विश्वविद्यालय के कुलपति
29	राज्य सरकार के आयुक्त एवं सचिव, पुलिस महानिरीक्षक, मण्डलायुक्त, उनके समकक्ष या उनसे उच्च स्तर के राज्य सरकार के विभागाध्यक्ष, भारत सरकार के समकक्ष विभागाध्यक्ष स्तर के अधिकारी, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सदस्य, सदस्य, न्यायिक राजस्व परिषद, स्वशासकीय राजकीय निगमों के समकक्ष मुख्य कार्य अधिकारी, महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, मेजर जनरल अथवा सशस्त्र सेना के समकक्ष अधिकारी,
30	राज्य सरकार के सचिव/विशेष सचिव, अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक/उप पुलिस महानिरीक्षक, अन्य विभागाध्यक्ष (जो ऊपर क्रम संख्या 16 में सम्मिलित नहीं है), भारत सरकार के समकक्ष विभागाध्यक्ष
31	जिलाधिकारी, जिला न्यायाधीश, पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्साधिकारी

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 20 सा0 विभागी–16–8–2013–(698)–1,200 प्रतियां (क0/टी0/ऑफसेट)।